न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **303/08 (वाद)**

GCMS No. : 2008/00013

उनवान

1. राधा किशन पिता रतनलाल जी जाति–ब्राहम्ण उम्र 65 वर्ष निवासी आमली तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राज०)

1/1 उमाशंकर पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 प्रकाश पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 तुलसीराम पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 डालचन्द पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/5 मांगीबाई पिता राधाकिशन पालीवाल पत्नी गिरीराज पुरोहित निवासी बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/6 मानीबाई पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी अम्बालाल पुरोहित निवासी बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/7 राणीबाई उर्फ देउ पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी भंवरलाल पालीवाल निवासी उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/8 लीला पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी बालकिशन पुरोहित निवासी बामणिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

1/9 उमा पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी वेणीराम पालीवाल निवासी आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/10 ताराबाई पत्नी राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी– आमली उम्र व्यस्क तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) हाल मुकाम यादव कॉलोनी इन्दौर दुर्ग नगर मरमीमाता चौराया यादव कालोनी इन्दौर (म०प्र०)
2. केलाश पिता कृपा शंकर ब्राहम्ण निवासी– आमली उम्र वयस्क तहसील मावली हाल मुकाम–गोविन्द कालोनी कुम्हार खाडी इन्दौर (म०प्र०)
3. रामचन्द्र उर्फ रामु पिता कृपा शंकर ब्राहम्ण निवासी – आमली उम्र वयस्क तहसील मावली हाल मुकाम–गोविन्द कालोनी कुम्हार खाड़ी इन्दौर (म०प्र०)
4. संगिता पिता स्व० कृपा शंकर जी पत्नी श्री रामचन्द्र जी पिता–हिरालाल जी कुँवर मण्डली, राजेन्द्र मांगलिक भवन के सामने इन्दौर (म०प्र०)
5. श्रीमती कमला पिता कृपा शंकर जी पत्नी श्री नारायण जी पिता–जिवराज जाति दवे प्रिंस यशवन्त रोड बाटा सोरूम के सामने राजवाडा इन्दौर (म०प्र०)
6. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार सा० मावली तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री अनिल त्रिपाठी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 23.04.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आमली के आराजी नम्बर 177मी, 2097/177, 2111/177 किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। जो वादी की खातेदारी एवं कब्जे में स्थित हैं वादी उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 234 व पुराना 42 के आराजी सं0 2126/177 क्षेत्रफल 7 बीघा 10 बिस्वा भी वादी के नाम पर अंकित है। प्रतिवादी सं० 1 किशनलाल व स्व० कृपा शंकर ने तहसील मावली मे तहसीलदार मावली को दिनांक 24/1/77 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी सं0 111 मी मे से रकबा सवा 6 बिघा मुझे व कृपा शंकर को आवंटन हुई है व कब्जा दिया गया है। जिसका नामान्तरकरण सं० 20 दिनाक 30/8/75 को खोला गया है। जिसके नये नम्बर 177 बने है। इसलिए 177 मे नामान्तरकरण खुलवाया जावे और तहसीलदार वास्ते जांच पटवारी खेमपुर को भिजवाया गया। तत्कालीन पटवारी ने किशनलाल से मिलकर नाजायज लाभ पहुचाने कि नियत से आराजी सं0 177 मे बनना व कब्जा होना बताया। जबकि 111 मी का नया नम्बर 178 बनता था। परन्तु प्रतिवादी ने जानबुझकर 111 मी का 177 नम्बर होना बता दिया। जबकि इसका नम्बर 178 बनता है। जैसा कि खसरा सेटलमेंन्ट मे बताया हुआ है। आराजी नम्बर 177 मे गलत नामान्तरण खुलवा दिया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए प्रतिवादी सख्या 1 किशनलाल व स्व० कृपा शंकर के नाम से नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 1/7/77 को खोला गया। वो नामान्तरणकरण गलत खोला गया था। ओर उक्त गलत नामान्तरण खुल जाने से किशनलाल व स्व० कृपा का नाम गलत अंकन हो गया है। कृपा शंकर का स्वर्गवास हो गया और उसके कानुनी वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 5 है।

2. यह कि प्रतिवादीगण के नाम से गलत जमाबन्दी मे अंकित हो जाने से आराजी को विक्रय करने कि धमकियां दे रहे है व नाजायज लाभ उठाना चाहते है। जबकि उक्त आराजी मे प्रतिवादीगण 1 व 2 से 5 तक के पिता कृपा शंकर जी को ऐलोट नही हुई थी, न ही उनका कब्जा था। उनको एलोटमेंट 111 मी में हुई थी। जिसके नये नम्बर 178 बनते है। इसलिए वादी उक्त आराजियात को इनके नाम से हटवाने का अधिकारी है। क्योकि उक्त नामान्तरण की आड़ मे प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी व

कब्जे कि आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 6 का कर्तव्य है कि वाद पत्र कि धारा संख्या 1 मे वादी के खातेदारी व कब्जे की आराजी का वर्णन किया हुआ है। उसको नक्शे में अलग अलग बताई हुई नहीं है और आराजी संख्या 177 मे जो बाद मे तालाब, उसकी पाल, नाला व तलाब कि रपट है, उसको नक्शे ट्रेस मे नही बताया है। जिसे बताया जाना आवश्यक है। इसलिए उक्त आराजियात को नक्शे मे अंकित करवाया जावे जिससे खातेदार काश्तकार के मध्य विवाद पैदा न होवे। इसलिए नक्शे मे आराजी संख्या 177 मे सभी खातेदार काश्तकारो की जमीन फिट करवाई जावे और प्रतिवादीगण संख्या के नाम पर आराजी संख्या 2110/177 जो अंकित कि गई है। उसको उनके नाम से जमाबन्दी से हटवाया जावे।

3. यह कि वादी का प्राईमाफेसी केस है। क्योकि आराजी संख्या 2110/177 रकबा सवा 8 बिघा 16 बिस्वा मे प्रतिवादीगण का कोई हक या अधिकार नहीं है। इसलिए यदि प्रतिवादीगण के नाम पर अंकन होने के वजह से अन्य भूमाफियो को विक्रय कर देगें। जिससे मुकदमे बढेगे। इससे जो वादी को क्षति होगी उसका मुल्यांकन रुपया पेसो मे आँका जाना असम्भव है। सुविधा सन्तुलन वादी के पक्ष मे है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति नही होगी।
4. यह कि वादि को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद कारण दिनाक 18/10/2008 को उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादी किशनलाल ने धमकी दी कि आराजी संख्या 2110/177 भुमाफियाओ को विक्रय कर दुगा। और तुम्हारी जमीन नक्शे में फिट नही होने की वजह से विक्रय करवा दुगा। इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।
5. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर कि डिक्री जारी फरमाई जावे आराजी संख्या 2110/177 रकबा सवा सवा 8 बीघा 16 बिस्वा जो प्रतिवादीगण के नाम पर अंकित है। उनको उनके नाम से उक्त आराजीयात हटवाने कि डिक्री जारी करवाई जावे और घोषित किया जावे कि आराजी संख्या 2110/177 रकबा सवा 8 बिघा 16 बिस्वा मे प्रतिवादीगण का कोई हक या अधिकार नही है। उक्त अमर कि डिक्री प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी फरमाई जावे । वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि आराजी 2110/177 रकबा सवा 8 बिघा 16 बिस्वा को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय रहन या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित न करे न करावे। इस अमर कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे। वादी को वाद पत्र की धारा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात मे शान्तिपुर्वक काश्त करने देवे तथा न ही दखलअन्दाजी करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। इस अमर की स्थाई निषेधज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में जारी फरमाई जावे। उक्त वर्णित आराजीयात व आराजी संख्या 177 मे बने हुऐ

तालाब पाल व तालाब कि रपट व नाला जो बना हुआ है। उसको नक्शे मे प्रतिवादी संख्या 6 अपने अधिनस्थ अधिकारियो के द्वारा नक्शे मे दर्शित करावे। इस अमर कि डिक्री जारी फरमाई जावे। विकल्प मे निवेदन है कि दौराने वाद वाद पत्र मे वर्णित आराजियात जो वादि के खातेदारी व कब्जे कि है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण कब्जे कर लेवे या आराजियात के किसी भाग पर कब्जा कर लेवे। तो कब्जा पुनः वादी को दिलाई जाने कि डिक्री जारी फरमाई जावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की आराजी नं. 2110/ 177 रकबा सवा आठ बीघा सोलह बिस्वा हम प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है जो हमारी है जिसे बेचने का पुरा हक एवं अधिकार प्राप्त है । हमारे ही कब्जा चला आ रहा है तथा बारीश के समय मक्का की फसल ली है व हम ही काश्त करते आ रहे है । जमीन हमारे नाम सही दर्ज हुई है तथा कब्जा भी हमारा ही चला आ रहा है हम ही काश्त कर रहे है इसलिए वाद खारीज होने योग्य है। धारा 88 राज०टी०एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार का वाद चल नही सकता है जब तक वादी अपना स्वयं का कोई राईट साबित नही करा दे तब तक वह वाद भी नही ला सकता है तो स्थाई निषेधाज्ञा का सवाल ही पैदा नही होता है । वादी ने प्रतिवादी नं. 6 राजस्थान राज्य को प्रतिवादी बनाया है लेकीन उनको दफा 80 जा०दी० का कोई नोटीस नही दिया है इसलिए यह वाद चलने योग्य है ।

7. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

   1. आया मौजा आमली की आराजी नम्बर 2110/177 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में प्रतिवादीगण का कोई हक, अधिकार व कब्जा नहीं है। जिससे वादी, प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी से हटवाकर अपने नाम दर्ज करा घोषणा कराने का अधिकारी है । ..... जिम्मे वादी
   2. आया उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगणों का कब्जा नहीं होने से वादी प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ।

      .....जिम्मे वादी
   3. आया वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है तथा वे ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है।

      .....जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वादी द्वारा राज्य सरकार को पार्टी बनाने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. का नोटीस नहीं दिये जाने से वाद खारीज होने योग्य है ।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

5. दादरसी।

उपरोक्त तनकीयात कायमी के पश्चात वादी के पक्ष की साक्ष्य प्रारम्भ की गई। गवाह पीडबल्यू–1 वादी संख्या 1 स्वयं श्री राधाकिशन पिता रतनलाल ब्राहम्ण निवासी आमली, गवाह पीडब्ल्यू–2 लक्ष्मणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी आमली तहसील मावली, गवाह पीडब्ल्यू–3 लालसिंह पिता किशोरसिंह निवासी आमली तहसील मावली के शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण से करवाई गई। गवाह उंकार पिता चमना जाट का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु जिरह हेतु उपस्थित नही। साक्ष्यप्रतिवादी प्रारम्भ की गई। गवाह डीडबल्यू–1 किशनलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण का शपथ पत्र पेश हुआ जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।

8. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया की वादी ने अपने बयानों की मुख्य परीक्षा में बताया कि गाँव आमली में आराजी नम्बर 2097/177 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 2111/177 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 2126/177 में 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी के नाम पर है जो प्रदर्श 1 हैं तथा वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी बताया कि प्रतिवादी किशनलाल ने तहसीलदार मावली के यहां एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24–01–1977 को पेश किया कि आराजी संख्या 111 मी. में से रकबा सवा 6 बीघा मुझे व कृपाशंकर को आवंटित हुई जिसका नामान्तरकरण दिनांक 30–08–1975 को खोला गया जिसके नये नम्बर 177 बने। जबकि वास्तविकता यह है कि आराजी नम्बर 111 मी. के नये नम्बर 178 बने और इसी आराजी पर प्रतिवादी किशनलाल व कृपाशंकर का कब्जा है जिसका अंकन खसरा सेटलमेन्ट में स्पष्ट रूप से किया गया। खसरा सेटलमेन्ट प्रदर्श 2 हैं तथा वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी बताया कि प्रतिवादी किशनलाल को आराजी नम्बर 111 मी. में से जमीन ऐलोट हुई जिसके नये नम्बर 178 बने उसी पर प्रतिवादी का कब्जा है व उपयोग कर रहा हैं। आराजी नम्बर 177 का नामान्तरकरण खोला जो गलत हैं। वादी की जमीन के पड़ौस पूर्व में हरिसिंह, पश्चिम में तालाब, उत्तर में चरनोट की पड़त जमीन एवं दक्षिण में पड़ता जमीन 178–179 हैं। आराजी नम्बर 111 के नये आराजी नम्बर 177 सेटलमेन्ट के समय

पड़े तथा आराजी नम्बर 177 के नये आराजी नम्बर 2097/177, 2111/177, 2126/177 बने जो वर्तमान जमाबन्दी में वादी के नाम पर दर्ज है। खसरा मिलान की नकल प्रदर्श–3 हैं। आराजी नम्बर 177 के नये नम्बर 177 मी., 2097/177, 2111/177 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का एक वाद प्रतिवादी किशनलाल एवं कृपाशंकर के विरूद्ध न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, वल्लभनगर में वादी द्वारा वर्ष 1986 में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण 16 सन् 1986 होकर वादी के पक्ष में निर्णित हुआ जिसके निर्णय की प्रति प्रदर्श 4 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5 है। वादी ने अपनी भूमि पर भूमि विकास बैंक एवं दी बैंक ऑफ राजस्थान लि० शाखा फतहनगर से ऋण लिया जिसका दाखिला प्रदर्श–5 हैं। तहसीलदार मावली के निर्णय दिनांक 30–11–1976 की प्रति प्रदर्श–6 हैं, नामान्तरकरण संख्या 20 की प्रति प्रदर्श–7, गलत खोले गये नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श 8 हैं। प्रदर्श–1 वर्तमान राजस्व रिकोर्ड की जमाबन्दी की नकल जिसमें वादी का नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 खसरा सेटलमेन्ट की नकल, प्रदर्श–3 खसरा मिलान की नकल, प्रदर्श–4 उप जिलाधीश महोदय, वल्लभनगर के आदेश की नकल के आधार से तनकी नम्बर 1 को वादी द्वारा साबित की गई जिससे वादी आराजी नम्बर 2110/177 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा से प्रतिवादीगण के नाम हटवाने का अधिकारी हैं। वादी की ओर से तहसील मावली का निर्णय प्रदर्श–6, नामान्तरकरण संख्या 20 प्रदर्श–7, गलत नामान्तरकरण प्रदर्श–8 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये है जिससे भी यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण का इस आराजी में कोई हक व अधिकार नही रहा हैं।

9. यह कि तनकी नम्बर 2 आया उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही होने से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं। उक्त तनकी को साबित करने के लिए वादी ने उप जिला कलक्टर महोदय वल्लभनगर द्वारा प्रकरण 16/1986 में पारित निर्णय दिनांक 26–05–1993 की प्रति प्रदर्श–4 के रूप में प्रदर्शित कराई जो वाद वादी के पक्ष में निर्णित हुआ जिसमें भी न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का कब्जा उक्त आराजी पर नही होने की पुष्ठि की गई थी। प्रदर्श–6 के रूप में तहसीलदार मावली के मिसल नम्बर 12/76 में पारित आदेश दिनांक 30–11–1976 प्रदर्शित कराया जिससे भी प्रतिवादीगण को आराजी नम्बर 111 आवंटन होने तथा तहसीलदार मावली द्वारा आराजी नम्बर 111 में से ही भूमि आवंटन करने की सिफारिश करने की पुष्ठि होती हैं। साक्ष्यवादी में स्वतन्त्र गवाह लालसिंह पिता किशोरसिंह एवं अन्य को पेश किया जिन्होने भी अपने बयान एवं जिरह में उक्त आराजी पर कब्जा वादी राधाकिशन का ही होना बताया। वादी

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधर पर व गवाहों के आधार पर वादी ने यह साबित कराया है कि वादी का कब्जा जब से भूमि आवंटन हुई है तभी से चला आ रहा हैं। वादी तनकी नम्बर 2 को भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक गवाहों के आधार पर साबित करने में सफल रहा है जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 2110/177 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में होने या कब्जे बाबत् कोई भी मौखिक साक्ष्य पेश नही की। प्रतिवादी की ओर से केवल मात्र प्रदर्श ए1 के रूप में नामान्तरकरण की नकल पेश की। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज पेश नही किया, न ही मौखिक साक्ष्य पेश की जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा हैं। प्रतिवादी किशनलाल ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि आराजी नम्बर 111 के नये नम्बर 178 बने जो सही है। प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आवंटित हूई भूमि का आवंटन पत्र भी पेश नही किया। अगर विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा जिन्सवारी पेश करते लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया। प्रतिवादी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी इन्दौर धन्धा करता है। प्रतिवादी ने अपनी जिरह में सिजारी से काश्त करवाने का कथन किया किन्तु जिरह में सिजारी का नाम, जाति व निवास के बारे में कोई जानकारी नही दे सका। इससे भी यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा, न ही विवादित आराजीयात आवंटन हुई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों तथा उप जिला कलेक्टर वल्लभनगर का फैसल दिनांक 26–05–1993 प्रकरण संख्या 16/86 वाद है जिसमें भी वादी का कब्जा माना गया तथा तहसीलदार मावली द्वारा प्रतिवादी को आराजी नम्बर 111 में से भूमि आवंटन करने की सिफारिश करने की पुष्ठि हूई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा है, न ही विवादित आराजीयात को आवंटन करने की सिफारिश तहसीलदार मावली द्वारा की गई थी। इस प्रकार वादी ने अपनी और से स्वतन्त्र गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य मामले में प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों एवं कथनों को तथा तनकीयात को वादी पूर्ण रूप से साबित करने में सफल रहा है इसलिये वादी का वाद मय हर्जा खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावें। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा के तथ्यो को दौहराते हुए वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर आयी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवाद्यक 1, 2 का भार वादीगण पर है। विवाद्यक 3, 4 का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पर है। दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है किः—

1. आया मौजा आली की आराजी नम्बर 2110/177 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में प्रतिवादीगण का कोई हक, अधिकार व कब्जा नहीं है। जिससे वादी, प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी से हटवाकर अपने नाम दर्ज करा घोषणा कराने का अधिकारी है ।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है। वादीगण ने प्रदर्श 7 ग्राम आमली का नामान्तरकरण संख्या 20 की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त नामान्तरकरण के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 111 मीन से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता कृपाशंकर को आवंटन की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया। प्रदर्श 3 भू—प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 110 एवं 111 के हाल आराजी नम्बर 177 रकबा 69 बीघा 5 बिस्वा कायम किए गए। भू—प्रबंध विभाग की मिसल बन्दोबस्त से नई जमाबंदी तैयार की गई। नई जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 20 की पालना नही होने से आवंटन के आधार नए आराजी नम्बर 177 में नामान्तरकरण संख्या 231 पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मौरूस कृपाशंकर के नाम भूमि दर्ज की गई। वादी का कथन है कि हाल आराजी नम्बर 177 साबिक आराजी नम्बर 111 से नही बना है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि भू—प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक अनुसार हाल आराजी नम्बर 177 दो साबिक आराजी नम्बर 110 एवं 111 से बना है। ऐसे में वादी का यह कथन माने जाने योग्य नही है कि हाल आराजी नम्बर 177 साबिक आराजी नम्बर 111 का भाग नही हो। न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मौरूस को वादग्रस्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 111 से आवंटन हुई थी। जिसके अनुसार हाल आराजी नम्बर 177 में सही नामान्तरकरण पारित किया गया है। वैसे भी वादी की भूमि आराजी नम्बर 177, 2097/177, 2111/177 किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी के नाम पर दर्ज है जिसके संबंध में वादी द्वारा ऐसा कोई कथन नही किया गया है कि उसकी भूमि कम कर दी गई हो। इस प्रकार पूर्व में पारित नामान्तरकरण आवंटन के आधार पर सही पारित किए गए है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के विरूद्ध साबित की जाती है।

2. आया उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगणों का कब्जा नहीं होने से वादी प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है। इस संबंध में प्रदर्श ए 1 का अवलोकन किया गया। जो ग्राम आमली का नामान्तरकरण संख्या 504 से उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 मौरूस कृपाशंकर के नाम खातेदारी हक से दर्ज की गई। वादी का कथन है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है। न्यायालय इस कथन से संतुष्ट नही है क्योंकि प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही होता तो वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज नही हो सकती है। जबकि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। ऐसे में अवश्य ही आराजी नम्बर 2110/177 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। उपर्युक्त विवेचन के आधार उक्त तनकी वादी के विरूद्ध साबित की जाती है।

3. आया वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है तथा वे ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त तनकी साबित कराने का भार प्रतिवादी पर है। उक्त तनकी एवं तनकी संख्या 2 परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। तनकी संख्या 2 में साबित हो चुका है की वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है ऐसे में पुनः उक्त तनकी का विवेचन किया जाना उचित नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित की जाती है।

4. आया वादी द्वारा राज्य सरकार को पार्टी बनाने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. का नोटीस नहीं दिये जाने से वाद खारीज होने योग्य है ।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने हेतु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे उक्त तनकी साबित हो सके अर्थात उक्त तनकी को साबित कराने का प्रयास ही नही किया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मौरूस को साबिक आराजी नम्बर 111 में से भूमि का आवंटन हुआ। सेटलमेंट के पश्चात हाल आराजी नम्बर 177 साबिक आराजी नम्बर 110 एवं 111 से बनाया गया। ऐसे में प्रतिवादीगण को आवंटन की गई भूमि हाल आराजी नम्बर 177 में चले जाने से आवंटन के आधार पर हाल आराजी नम्बर 177 में नामान्तकरण पारित कर प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज की गई। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियो द्वारा किसी प्रकार की त्रूटि नही की गई। वादी द्वारा पूर्व में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया वह

अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु प्रस्तुत किया था। जिससे प्रतिवादीगण पाबंद है। वैसे भी तनकी संख्या 1, 2 का भार वादी पर रहा जिसे साबित कराने में असफल रहे। तनकी संख्या 3 का भार प्रतिवादीगण पर रहा जिसे साबित कराने में सफल रहे। तनकी संख्या 4 का भार प्रतिवादीगण पर रहा जिसे साबित कराने में असफल रहे। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1/1 उमाशंकर पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 प्रकाश पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 तुलसीराम पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 डालचन्द पिता राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/5 मांगीबाई पिता राधाकिशन पालीवाल पत्नी गिरीराज पुरोहित निवासी बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/6 मानीबाई पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी अम्बालाल पुरोहित निवासी बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/7 राणीबाई उर्फ देउ पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी भंवरलाल पालीवाल निवासी उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/8 लीला पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी बालकिशन पुरोहित निवासी बामणिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

1/9 उमा पुत्री राधाकिशन पालीवाल पत्नी वेणीराम पालीवाल निवासी आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/10 ताराबाई पत्नी राधाकिशन पालीवाल निवासी सेगडिया आमली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी– आमली उम्र व्यस्क तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) हाल मुकाम यादव कॉलोनी इन्दौर दुर्ग नगर मरमीमाता चौराया यादव कालोनी इन्दौर (म०प्र०)
2. केलाश पिता कृपा शंकर ब्राहम्ण निवासी– आमली उम्र वयस्क तहसील मावली हाल मुकाम–गोविन्द कालोनी कुम्हार खाडी इन्दौर (म०प्र०)
3. रामचन्द्र उर्फ रामु पिता कृपा शंकर ब्राहम्ण निवासी – आमली उम्र वयस्क तहसील मावली हाल मुकाम–गोविन्द कालोनी कुम्हार खाड़ी इन्दौर (म०प्र०)
4. संगिता पिता स्व० कृपा शंकर जी पत्नी श्री रामचन्द्र जी पिता–हिरालाल जी कुँवर मण्डली, राजेन्द्र मांगलिक भवन के सामने इन्दौर (म०प्र०)
5. श्रीमती कमला पिता कृपा शंकर जी पत्नी श्री नारायण जी पिता–जिवराज जाति दवे प्रिंस यशवन्त रोड बाटा सोरूम के सामने राजवाडा इन्दौर (म०प्र०)
6. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार सा० मावली तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 303/08 (वाद)

GCMS No.: 2008/00013

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 23.04.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली